भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1037

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण

1037. **श्री सौमित्र खान:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धिशील अधिगम दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की पश्चिम बंगाल सहित राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में पोषण और शिक्षा सेवाओं के वितरण में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के लिए कार्य-आधारित प्रोत्साहन लागू किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तकनीकी सहायता प्रदान करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यभार को कम करने के लिए क्या पहल की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 10 मई 2023 को पोषण भी पढाई भी (पीबीपीबी) पहल शुरू की गयी जिसके तहत 22 जुलाई 2025 तक कुल 5,62,222आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रशिक्षित किया गया था।

इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिनमें पश्चिम बंगाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, **अनुलग्नक-I** में है।

(ख) *पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी)* के अंतर्गत प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप सुप्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के माध्यम से उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) व्यवस्था तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। यह प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा 2024 में शुरू किए गए *नवचेतना* - जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय ढाँचा - तथा *आधारशिला* - तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ईसीसीई हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप है। दिव्यांग बच्चों को सहायता प्रदान करने और समावेशी शिक्षण पद्धतियों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। यह प्रशिक्षण दो-स्तरीय मॉडल पर आधारित है जिसमें राज्य-स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) दो-दिवसीय गहन प्रशिक्षण (टियर 1) प्राप्त करते हैं, जो आगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन-दिवसीय, संवाद आधारित, व्यावहारिक मॉड्यूल (टियर 2) के माध्यम से प्रशिक्षित करते हैं। यह दृष्टिकोण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई सेवाएं प्रदान करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करता है जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, उत्तरदायी देखभाल और विकासात्मक लक्ष्य; समग्र विकास के लिए आयु-उपयुक्त, आनंददायक शिक्षण; और घर पर प्रारंभिक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए परिवारों और समुदायों के साथ जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रशिक्षण से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समग्र गुणवत्ता और प्रभाव में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कार्य-निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 0-6 वर्ष आयु वर्ग के कम से कम 80% बच्चों का मासिक विकास मापन करने के लिए और गृह भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और तीन वर्ष तक की आयु के

बच्चों के लिए कम से कम 60% गृह भ्रमण पूरा करने के लिए 500 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाता है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को महीने में कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर 250 रुपये प्रति माह का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(घ) आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण प्रदायगी सहायता प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी प्रणालियों का लाभ उठाया गया है। 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन 1 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन सुविधा के रूप में शुरू किया गया था। पोषण ट्रैकर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों की निर्धारित संकेतकों पर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनेपन, दुबलापन, अल्प वजन के प्रचलन की गतिशील पहचान के लिए किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/टेक होम राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं), विकास माप इत्यादि के लिए लगभग वास्तविक समय में आंकड़ा संग्रह की सुविधा प्रदान की है। ऐप प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है जो जन्म की तैयारी, प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल, स्तनपान और पूरक आहार पर संदेशों के प्रसार में सहायता करते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्व-शिक्षण वीडियो भी शामिल हैं, जो डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण और कार्यस्थल पर सीखने में सक्षम बनाते हैं। ब्लॉक और जिला समन्वयक, पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग और कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यभार को कम करने और उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए भौतिक रजिस्टरों का उपयोग बंद करने और पोषण ट्रैकर का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

अनुलग्नक -I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण "के संबंध में श्री सौमित्र खान द्वारा पूछे गए दिनांक 25.07.2025 के लोकसभा प्रश्न संख्या 1037 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिसमें पश्चिम बंगाल की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इस प्रकार है:

	एसएलएमटी		**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता**	
	लक्ष्य	**प्राप्ति**	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**
भारत	**43,488**	**41,360**	**13,15,162**	**5,62,222**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	45	49	720	732
आंध्र प्रदेश	2059	2050	54,908	53321
अरुणाचल प्रदेश	465	648	6225	1375
असम	2353	2794	60,964	22238
बिहार	3366	2178	1,12,094	90263
चंडीगढ़	24	33	434	548
छत्तीसगढ़	2126	2009	51,245	11072
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	24	50	405	240
दिल्ली	434	581	10498	10412
गोवा	65	64	1224	1148
गुजरात	2044	2127	49,884	4122
हरियाणा	804	808	23,902	8044
हिमाचल प्रदेश	746	744	18,663	0

	एसएलएमटी		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
जम्मू और कश्मीर	1265	1244	27,543	24932
झारखंड	862	980	37,944	11760
कर्नाटक	2247	2149	64,118	426
केरल	1348	1656	33,115	15198
लद्दाख	46	73	1143	1153
लक्षद्वीप	4	8	59	0
मध्य प्रदेश	3567	2996	95,953	91458
महाराष्ट्र	2892	2475	1,05,023	36120
मणिपुर	489	636	11,466	4576
मेघालय	306	288	5896	1958
मिजोरम	161	202	2244	2357
नागालैंड	293	398	3980	3727
ओडिशा	3266	2742	73,314	8722
पुद्दुचेरी	19	47	595	616
पंजाब	847	1184	27,075	7922
राजस्थान	1622	1644	60,874	57948
सिक्किम	95	81	1308	387
तमिलनाडु	2062	1828	43,602	300
तेलंगाना	1540	1531	33,789	0
त्रिपुरा	308	282	10,131	3192

	एसएलएमटी		आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	
	लक्ष्य	**प्राप्ति**	**लक्ष्य**	**प्राप्ति**
उत्तर प्रदेश	3585	2132	1,59,938	46430
उत्तराखंड	652	634	19,311	4882
पश्चिम बंगाल	1457	2015	1,05,575	34643
कुल	**43,488**	**41,360**	**13,15,162**	**5,62,222**

*****